(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील / 04 / 2024 — दायर दिनांक: 01.08.2024

उनवान

1. आफरोजबी पत्नि साबिर मोहम्मद जाति मुसलमान नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
2. शमीबी पत्नि यातरखान जाति मुसलमान नि. सिरपोई तहसील सुनेल

— अपीलांटस

बनाम

1. ग्राम पंचायत ओडियाखेडी पंचायत समिति पिड़ावा मुकसुनेल
2. नसीम चौधरी पि. जहूर अहमद जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड़
3. जाकिर हुसैन पि. नन्नाभाई जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड़
4. मोहम्मद हुसैन पि. जमील हुसैन जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड़
5. अंजुमबी पत्नि अशफाक मोहम्मद जाति मुसलमान नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.01.2016 नामा.सं. 538 एवं आदेश दिनांक 20.02.2018, नामा.सं. 581 ग्राम पंचायत ओडियाखेडी

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री महेन्द्रसिंह जैन

वकील रेस्पोडेन्टस – श्री सौरभसिंह जैन

आदेश — दिनांक : 04.03.2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य [illegible] प.न. मायाखेडी तहसील पिड़ावा की आ[illegible] में सं 1 बिरुद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 [illegible] बेचान पत्र दिनांक 09.12.2015 से रेस्पोडेन्टस सं. 5 अंजुम [illegible] को बेचान कर दी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

थी जिसके आधार पर रेस्पोंडेन्टस सं. 1 द्वारा नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 को तस्दीक किया। यह कि ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बिस्वा रेस्पोंडेन्ट सं. 5 के नाम दर्ज थी जिनहोने रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 29.11.2017 से अपीलांटस को बेचान कर दी जिसके आधार पर रेस्पोंडेन्टस सं. 1 द्वारा नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 को तस्दीक किया। रेस्पोंडेन्टस सं. 2, 3, 4 द्वारा बेचान पत्र दिनांक 29.11.2017 के संबंध में रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 को उप पंजीयचक कार्यालय से तस्दीक करवाया गया तथा ख.नं. 51 के बजाय ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा शुद्धि करने हेतु तस्दीक करवाया गया जिस कारण ख.नं. 51 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामा.सं. 538 व 581 विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा तस्दीक नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 व नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 शुद्धिपत्र दिनांक 11.11.2019 की रोशनी में विधि एवं कनून प्रकिया तथा विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि हर दो बेचानपत्र दिनांक 09.12.2015 एवं 29.11.2017 जो ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बिस्वा आराजी के संबंध में तस्दीक हुए है जो शुद्धिपत्र पंजीबद्ध दिनांक 11.11.2019 के अनुसार ख.नं. 51 के बजाय ख.नं. 52 के संबंध में नामा. दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि अपीलांटस का कब्जा ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि पर चला आ रहा है। इस कारण ख.नं. 51 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामा.सं. 538 व 581 निरस्त होकर शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर ख.नं. ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि शुद्धिपत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर अपीलांटस ने हल्का पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार महोदय से नामान्तरण दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से उक्त वर्णित आधारो पर अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी [illegible] प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में जो दे[illegible] व क्षम्य किये जाने योग्य है तथा अपील अन्दर मियाद [illegible] पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। यह कि रेस्पोंड[illegible] सं. 6 तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

पिड़ावा को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया है। अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत है। यह कि अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा जैर अपील नामा. सं. 538 दिनांक 05.01.2016 एवं नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा तस्दीक किया गया उसे निरस्त किया जावे तथा शुद्धिपत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण अपीलांटस के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर कथन किया कि अपील की मद सं. 1 (अ) स्वीकार है। अपील की मद सं. 1 (ब) स्वीकार है। अपील की मद सं. 2 स्वीकार है। अपील की मद सं. 3 स्वीकार है। अपील की मद सं. 4 स्वीकार है। अपील की मद सं. 5 स्वीकार है। अपील की मद सं. 6 कानूनी है। अपील की मद सं. 7 कानूनी है। अपील की मद सं. 8 कानूनी है। अपील की मद सं. 9 कानूनी है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल सं. 538 व 581 निरस्त किया जाकर शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा आराजी का इन्तकाल अपीलांट अफरोल बी व रानी बी के नाम दर्ज किये जाने की कृपा करें।

3. रेस्पोडेन्ट सं. 6 तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्रांक 367 दिनांक 06.09.2024 से जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 51 व 52 की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है –

(1) ग्राम राजपुरा में खातेदार 1 वसीम चौधरी पि. जहूर अहमद 2. जाकिर हुसैन पि. नानाभाई 3 मोहम्मद हुसैन पि. जीमल हुसैन जाति मुसलमान के नाम खाता सं. 124 (पूर्व) ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा तथा ख.नं. 52 (पूर्व) रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है।

(2) उक्त सहखातेदारान द्वारा रजिस्टर्ड बेचान पत्र सं. ...1501285003659 दिनांक 09.12.2015 के द्वारा ख.नं. ... का बेचान अंजुम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(6)

बी पत्नि अशफाक मोहम्मद जाति मुसलमान नि. पिडावा को किया जो कि नामा.सं. 538 के द्वारा तस्दीक होकर जमाबंदी में दर्ज हुआ है।

(3) इसके पश्चात अंजुम बी पत्नि अशफाक मोहम्मद जाति मुसलमान द्वारा ख.नं. 51 में अपने हिस्से 1 बिस्वा भूमि को बेचान रजिस्टर्ड बेचान पत्र सं. 201701285003607 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा 1 अफरोज बी पत्नि साबिर मोहम्मद हि. 1/2 जाति मुसलमान नि. पिडावा 2 रानी बी पत्नि यावर खान हि.1/2 जाति मुसलमान नि. पिडावा को किया गया जो कि नामा.सं. 581 के द्वारा तस्दीक होकर जमाबंदी में दर्ज हुआ है।

(4) उक्त दोनो बेचान की गई भूमि को भवानीमण्डी–पिडावा रोड पर बताया हुआ है परन्तु केता व विकेता दोनो को बाद में ज्ञात हुआ कि बेचान किया गया ख.नं. 51 जिसमें से बेचान हुआ है भवानीमण्डी–पिडावा रोड पर स्थित नहीं है। उक्त रोड पर ख.नं. 52 स्थित है जो कि 1 वसीम चौधरी पि. जहूर अहमद 2. जाकिर हुसैन पि. नानाभाई 3 मोहम्मद हुसैन पि. जीमल हुसैन जाति मुसलमान के नाम जमाबंदी में दर्ज है। सहवन से उक्त खातेदारान द्वारा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि से बेचान कर दिया जो कि गलत है जिसका शुद्धि पत्र उप पंजीयक महोदय के समक्ष गवाहान की उपस्थिति में पु.सं. 1 जिल्द सं. 295 में पृष्ठ सं. 135 क्र.सं. 201903285102404 दिनांक 11.11.2019 को हुआ जिसमें ख.नं. 51 के बजाय ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा का बेचान किया जाना स्वीकार किया है।

(5) अतः महोदय तत्कालीन नामा.सं. 538 व 581 मुताबिक बेचान पत्रानुसार सही था परन्तु मौकानुसार केता व विकेता द्वारा सहवन से गलत ख.नं. लिखवा दिया गया।

(6) वर्तमान आनलाईन प्रकिया में 3 माह से ज्यादा का समय हो जाने पर नामान्तरण पुनरावलोकन की कोई सुविधा नहीं है। अतः उक्त शुद्धि पत्र के आधार पर पर ख.नं. 51 में अफरोज बी व रानी बी के नाम पर आया रकबा बेचानकर्ता के पक्ष में पुनः दर्ज किया जाकर ताकि [illegible] गये शुद्धि पत्र संलग्न कर केता के पक्ष में पंजीयन [illegible] करते हुए नामान्तरण दर्ज किया जाना उचित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(7) आनलाईन प्रकिया में नामा.निरस्त की कोई प्रक्रिया नहीं है तथा नामा. लॉक होते ही वर्तमान जमाबंदी में अमल हो जाता है तथा तत्कालीन नामा. जो कि मुताबिक बेचान पत्रानुसार दर्ज हुआ था वह नियमानुसार सही था इसलिए वर्तमान में उपयुक्त विवरणानुसार शुद्धि व नामा. दर्ज किया जाना उचित होगा।

4. अपीलांटस की ओर से ग्राम राजपुरा के नामा.सं. 538 व 581, शुद्धि पत्र दि. 11.11.2019, बेचान पत्र दि. 29.11.2017 व बेचान पत्र दि. 09.12.2015 की प्रति एवं ग्राम राजपुरा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 4 की प्रति, नक्शा ट्रेस दिनांक 09.10.2021 की प्रति पेश की।

5. वकील उभयपक्ष बहस अपील सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा प0म0मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3–13 बीघा में से 1 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2015 से रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 2 से 4 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन विक्रय पत्र टाईप करते समय टाइपिग त्रुटीवश ख.नं. 52 के स्थान पर ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि का बेचान किया जाना अंकित हो गया था। उक्त त्रुटीपूर्ण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा बेचान नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 तस्दीक किया। ततपश्चात उक्त आराजी का केता खातेदार रेस्पोडेन्ट सं. 5 अंजुमबी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.11.2017 से अपीलांटस को बेचान कर मौके पर कब्जा ख.नं. 52 के ही हिस्से पर सौपा गया था, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2017 के आधार पर ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 तस्दीक किया और अपीलांटस खातेदार के रूप में दर्ज हुए। कुछ समय बाद केता अपीलांटस एवं मूल विकेतागण रेसपोडेन्टस सं. 2, 3, 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में हुई टाईपिग त्रुटी का ज्ञान हुआ तो उप पंजीयक कार्यालय [illegible] उभयपक्ष द्वारा शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 से [illegible] 09.12.2015 व दिनांक 29.11.2017 को शुद्ध किया [illegible] बीघा के स्थान पर ख.नं. 52 रकबा 3–13 बीघा किया गया। उप पंजीयक कार्यालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शुद्ध किये जाने के बाद त्रुटीपूर्ण विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2015 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 एवं विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2017 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 के विधिक प्रावधानों व कानूनी प्रकिया के विकित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे कथन किया गया कि उक्त विक्रेतागण रेस्पोंडेन्ट सं. 2 से 4 द्वारा समान प्रकार की टाईपिंग त्रुटी के आधार पर ख.नं. 52 में से एक बिस्वा भूमि मायाबाई को बेचान की थी लेकिन त्रुटीवश विक्रय पत्र में ख.नं. 51 अंकित हो गया था जिसकी अपील केता मायाबाई द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के समक्ष की थी। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपील को स्वीकार कर नामा.सं. 511 दिनांक 23.03.2015 को निरस्त कर पुनः शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये थे जिसके आधार पर तहसीलदार पिडावा द्वारा नवीन नामान्तरण सं. 790 दर्ज किया गया। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जावे।

6. वकील रेस्पोडेट सं. 2 लगायत 5 द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए स्वीकारात्मक जवाब अपील पेश कर कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा भूमि का बेचान करते समय टाईपिग त्रटीवश ख.नं. 52 के स्थान पर ख.नं. 51 अंकित हो गया था जबकि वास्तविक रूप से ख.नं. 52 में से एक बिस्वा भूमि का बेचान कर कब्जा सौपा था। अतः त्रुटीपूर्ण विकय पत्रो के आधार पर निर्णित नामा. सं. 538 व 581 को निरस्त किया जाकर शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से एक बिस्वा आराजी का इन्तकाल अपीलांट अफरोज बी व रानी बी के नाम दर्ज किये जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे।

7. वकील उभयपक्ष की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2015 के अवलोकन के आधार पर जाहिर है कि खातेदारान रेस्पोंडेंट सं. 2 से 4 द्वारा ख.नं. 51 रकबा 4–02 बीघा में से एक बिस्वा भूमि का बेचान रेस्पोंडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सं. 5 अंजुमबी को किया गया था जिसका ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा बेचान नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 तस्दीक किया गया। फिर केता खातेदार अंजुमबी द्वारा उक्त कयशुदा आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2017 से अपीलांट को किया गया जिसका ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 तस्दीक किया गया। विकेता खातेदारान रेस्पोडेटस सं. 2 से 5 एवं केता अपलांटस द्वारा जरिये शुद्धिपत्र दिनांक 11.11.2019 से उक्त दोनो रजिस्टर्ड विकय पत्रों में ख.नं. के अंकन में हुई टाईपिंग त्रुटी को उप पंजीयक कार्यालय पिडावा से दुरूस्त कराकर ख.नं. 51 रकबा 4–02 बीघा के स्थान पर ख.नं. 52 रकबा 3–13 बीघा किया गया। जिस पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का कथन है कि विकेतागण द्वारा मौके पर कब्जा सही जगह पर यानि ख.नं. 52 के एक बिस्वा भूमि पर ही सौपा गया था और उसी पर कब्जा काश्तरत है। रेस्पोडेन्ट सं. 6 तहसीलदार पिडावा ने अपने जवाब दिनांक 06.09.2024 में भी उक्त कथन को स्वीकार कर शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर केता अपीलांटस के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया जाना उचित बताया है।

8. यह सही है कि ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 09.12.2015 एवं दिनांक 29.11.2017 में अंकित तथ्यों/ख.नं. के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया था जिसमें किसी प्रकार की कानूनी भूल नहीं की थी परन्तु जब उक्त विकय पत्रों में ख.नं. के अंकन में हुई टाईपिग त्रुटी को उप पंजीयक पिडावा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 से दुरूस्त किया जा चुका है तो पूर्ववर्ती विकय पत्रों दिनांक 09.12.2015 एवं दिनांक 29.11.2017 का अब कोई कानूनी औचित्य नहीं रहा है। अपीलांटस, तहसीलदार पिडावा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 ने स्वीकार किया है कि केतागण को कब्जा ख.नं. 52 के एक बिस्वा हिस्से पर ही सौपा गया है तो उक्त नामान्तरणों का कानूनी [illegible] ही समाप्त हो गया है। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम [illegible] कार्यालय तहसीलदार पिडावा द्वारा वाद सं. [illegible] 18.04.2024 के अवलोकन से जाहिर है कि समान विकेता [illegible] द्वारा ख.नं. 52 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ही पूर्व में किये गये बेचान दिनांक 02.01.2015 में भी इसी प्रकार की टाईपिंग त्रुटी हुई थी जिसकी अपील न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड में की गई थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांटस के अपील को शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर स्वीकार कर नामा.सं. 511 को निरस्त कर तहसीलदार पिड़ावा को शुद्धि पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये थे।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के संबंध में ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा तस्दीक किया गया नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 एवं नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 को निरस्त कर अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल मायाखेडी की आराजी ख.नं. 51 के संबंध में दर्ज नामा.सं. 538 दिनांक 05.01.2016 एवं नामा.सं. 581 दिनांक 20.02.2018 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिड़ावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र दिनांक 11.11.2019 के आधार पर मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्रेता अपीलांटस के पक्ष में पुनः नामान्तरण दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/03/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:26:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner